

2025/765
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

मनभरी बनाम तहसीलदार धोद
किस्म मुकदमा 136 UR मु.नं. 390 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
19/09/25	<p>प्रार्थीया मनभरी पत्नी मोहन लाल जाति बलाई निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 253 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि मनकोरीदेवी पत्नी मोहन दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि मनभरी पत्नी मोहन लाल है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात आदि की प्रस्तुत प्रति में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि मनभरी पत्नी मोहन लाल अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि मनकोरीदेवी पत्नी मोहन के स्थान पर मनभरी पत्नी मोहन लाल दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1328 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अधा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 253 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि मनकोरीदेवी पत्नी मोहन के स्थान पर मनभरी उर्फ मनकोरीदेवी पत्नी मोहन लाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीयापक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1328 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>

